

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 170/2020

तारीख रजू 06.11.2020

प्रभूलाल पुत्र रामसुखा जाति जाट निवासी कुतलपुरा जाटान तह.खण्डार --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

----- रेस्पों

निर्णय

दिनांक.....12/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलों द्वारा मिसल संख्या 76/2020 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रोडावद के आराजी खसरा नम्बर 256/6 रकबा 5.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पों की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 256/6 की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना मौका देखा गया है मात्र पटवारी हल्का की झूठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्त काफी वृद्ध व्यक्ति है जो पैर के कारण चलने फिरने में असमर्थ है जिसका खसरा नम्बर 226/6 पर किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं रहा है ना अपीलान्त का वर्तमान आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत द्वारा बिना नोटिस सूचना के ही एक तरफा फैसला कर दिया गया है अपीलान्त को मौका भी नहीं देने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के

12
अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त को नोटिस तामील नहीं हुआ । अदालत मातहत द्वारा बिना नोटिस तामील हुये ही अपीलान्त के विरुद्ध आदेश पारित किया गया जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है । अतः जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है । अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ । मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक.....12/3/2021.....को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

12
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर